न्यायालय तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: चन्द्रशेखर (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 62 / 2024

सरकार

बनाम रतनसिंह पुत्र बीरबल, जाति –जाट, निवासी– बलौदा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 22.05.2024

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजुद सुचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल रतनसिंह पुत्र बीरबल, जाति –जाट, निवासी– बलौदा द्वारा रोही मौजा बलौदा की भूमि ख.नं. 225 कुल रकबा 40.08 है0 किस्म गै.मु. जौहड़ में से रकबा 0.02 है0 भूमि पर पक्के मकान व ढारा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप संरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर)

तहसीलदार, सूरजगढ़

रो० से० सं० 4 के पृष्ठ सं. 01 पर

24-25 में क्र. सं. 051 कायम किया

[illegible] लेखाकार